न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 623/16 **सन् 2016**

आरसीएमएस संख्या 2016/00340

बउनवानीः—चतुर्भुज पुत्र मूल्या जाति गुर्जर निवासी बौंली, तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार बौंली

(अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार बौंली की मिसल संख्या 01/2016 निर्णय दिनांक 7.11.2016 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :— 1. श्री राधेश्याम वैष्णव — वकील अपीलान्ट

2. श्री महावीर चौधरी — पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— **दिनांक 17.6.2019**

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार बौंली की मिसल संख्या 01/2016 में पारित निर्णय दिनांक 7.11.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्व शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त को 30 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख व मौका रिपोर्ट अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि 18.10.2016 को आम जनता ग्राम बौंली की ओर से अपीलान्ट द्वारा ख0न0 1676 सिवायचक पर अतिक्रमण कर आम रास्ते में अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार बौंली के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर प्राप्त शिकायत पर पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की गयी है। तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को पत्रांक/राजस्व/16/2660 दिनांक 24.10.2016 से नोटिस जारी कर दिनांक 27.10.2016 को उपस्थित होकर उक्त अतिक्रमण क्यो नही हटाने बाबत साक्ष्य सबूत पेश करने का लिखा गया अपीलान्ट द्वारा नोटिस की पुश्त पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया किन्तु अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ ओर ना ही नोटिस का जवाब पेश किया। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु दिनांक 7.11.2016 तक का समय पुनः दिया गया। किन्तु अपीलान्ट द्वारा दिनांक 7.11.2016 तक अतिक्रमण हटाने की कोई कार्यवाही नही की गयी ना ही कोई सबूत पेश किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट को पूर्ण सुनवायी व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये जाने के बाद आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जॉच नही की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत गलत व झूँठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह कही भी अंकित नही किया कि अपीलान्ट का किस ग्राम में किस ख.न. पर कितने रकबे पर किस जगह क्या अतिक्रमण है तथा किस सम्वत् मे श्यालू या उन्हालू मे अतिचार किया है। अपने आदेश में कही भी अंकित नही किया गया है जो निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिविरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवायी को कोई नोटिस नही दिया तथा सुनवायी का अवसर दिये बिना ही एकतरफा मे आदेश जैर अपील पारित कर दिया है। यह कथन भी किया कि पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध मे भी कोई साक्ष्य सबूत नही होते हुए भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अपना आदेश गलत तरीके से पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि मुताबिक मौका रिपोर्ट दिनांक 3.1.2017 के अनुसार अपीलान्ट के साथ—साथ अन्य 7 व्यक्तियों का अतिक्रमण है जिसमे शिकायत कर्ता के

डॉ० ... सिंह
जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर

पिता का नाम भी है जब इतने व्यक्तियों का अतिक्रमण है तो केवल अपीलान्ट को ही इतनी कठोर सजा क्यो दी गयी है कानून सभी के लिए समान है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जेर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया ।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि 18.10.2016 को आम जनता ग्राम बौंली की ओर से अपीलान्ट द्वारा ख0न0 1676 सिवायचक पर अतिक्रमण कर आम रास्ते में अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार बौंली के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर प्राप्त शिकायत पर पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की गयी है। तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को पत्रांक/राजस्व/16/2660 दिनांक 24.10.2016 से नोटिस जारी कर दिनांक 27.10.2016 को उपस्थित होकर उक्त अतिक्रमण क्यो नही हटाने बाबत साक्ष्य सबूत पेश करने का लिखा गया अपीलान्ट द्वारा नोटिस की पुश्त पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया किन्तु अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ ओर ना ही नोटिस का जवाब पेश किया। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु दिनांक 7.11.2016 तक का समय पुनः दिया गया। किन्तु अपीलान्ट द्वारा दिनांक 7.11.2016 तक अतिक्रमण हटाने की कोई कार्यवाही नही की गयी ना ही कोई सबूत पेश किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट को पूर्ण सुनवायी व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये जाने के बाद आदेश जेर अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट को जारी नोटिस की पुश्त पर अपीलान्ट द्वारा नोटिस मे अंकित दिनांक 27.10.2016 तक अतिक्रमण हटा लेने तथा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समय चाहा गया नियत दिनांक को उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 7.11.2016 को उपस्थित होने का मौका दिया गया। किन्तु अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के सम्बन्ध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुद्ढ अभिलेख प्रस्तुत नही किया है, जिससे प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का अतिचार साबित नही होता हो ओर ना ही अतिक्रमण हटाया गया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार बौंली की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर दिनांक 3.1.2017 को भी 0.1 है0 पर बाडा व छाणपोस बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.6..2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 16:34:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: